संख्या : - /I/2016-03(1)/27/2010

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक : 05 जनवरी, 2016

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम हेतु प्राविधानित रू0 129.50 लाख के सापेक्ष रू0 89.53 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1266 दिनांक 08.09.2015 एवं 1721 दिनांक 07.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा 2197 सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापित किये जाने हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0 89.53 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2197 सोलर स्ट्रीट लाईट की एल–1 की दरों के उपरान्त कुल लागत **रू0 4,72,35,500.00** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ राज्य आयोजनागत मद में 2197 सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापित किये जाने हेतु राज्यांश के रूप में कुल **रू0 89.53 लाख (रू0 नवासी लाख तिरपन हजार)** की धनराशि आयोजनागत मद में संलग्नक–1 में वर्णित लेखाशीर्षकों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(I) योजना के लिए आबंटित धनराशि तभी एवं उसी मात्रा में आहरित कर व्यय की जायेगी जहां जैसा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुदान/सब्सिडी दिये जाने को अनुमन्य किया गया हो, अन्यथा धनराशि आहरित/व्यय नहीं की जायेगी।

(II) स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार में आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का आहरण कर उसे 31–03–2016 तक व्यय कर लिया जायेगा एवं अनावश्यक रूप से धनराशि को बैंकों में पार्किंग कर नहीं रखा जायेगा।

(III) व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, शासन के मितव्ययता विषयक आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(IV) योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को भी समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(V) व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(VI) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(VII) योजनान्तर्गत सम्बन्धित योजना हेतु केन्द्रांश की प्राप्ति भी समय से कर ली जायेगी तथा योजना/कार्यवार प्राप्त केन्द्रांश का विवरण तथा तद्क्रम में प्रत्येक योजना/कार्यवार कुल लागत/ व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय किये गये केन्द्रांश व राज्यांश का विवरण भी शासन में वित्त विभाग को समय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(VIII) उक्त योजना पर उक्त धनराशि राज्यांश के विपरीत अवमुक्त की जा रही है और अवमुक्त राज्यांश तब ही व्यय किया जाएगा, जब केन्द्र सरकार अपने अंश के विपरीत धनराशि अवमुक्त कर देगी अथवा स्वीकृत कर देगी। केन्द्र पोषित योजनाओं में धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। जिन योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त होता है उनके सापेक्ष केन्द्रांश अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(IX) उक्त योजनाओं के सापेक्ष अगली किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय एवं कार्य स्थल पर भौतिक प्रगति का प्रमाण पत्र तथा भारत सरकार एवं आर.ई. सी. से अवशेष केन्द्रांश/ऋण प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रमाणित अभिलेख शासन को त्रैमासिक उपलब्ध कराया जाय।

(X) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(XI) स्वीकृत की गई धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना राज्यांश सहित सभी स्रोतों से व्यय धनराशि परिव्यय एवं लागत की सीमान्तर्गत हो।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 34/XXVII(2)/2015 दिनांक 01 जनवरी, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 30 /I/2016-03(1)/27/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग।
5– सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
6– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
7– सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड शासन/एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार सागर)
अनु सचिव।